रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032022-234744
CG-DL-E-31032022-234744

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1485] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2022/चैत्र 10, 1944
No. 1485] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2022/CHAITRA 10, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 21/2022- सीमाशुल्क (गै. टै.)

का.आ. 1537(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (एतद्श्चमन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1), (4) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 82/2017- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 24 अगस्त, 2017, जिसे सा.का.नि. 1064 (अ), दिनांक 24 अगस्त, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी अथवा करने से लोप की गयी बातों को छोड़ते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा,-

(i) नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) के क्रमांक 2, 4, 6, 9, 13, 14, 16 से 20, 22 से 26, 28, 29, 30, 32 और 33 के समक्ष उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए, प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में नियुक्त करता है ;

(ii) नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) के क्रमांक 1,3,5,7,8,10,11,12,15,21, 27, 31 और 34 के समक्ष उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए, प्रधान

आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक) या आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), जैसी भी स्थिति हो, के रूप में नियुक्त करता है और उनमे प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क की, उक्त अधिनियम के अंतर्गत उक्त क्षेत्र से संबन्धित सभी शक्तियों को निविष्ट करता है;

(iii) नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) के क्रमांक 2, 4, 6, 9, 13, 14, 16 से 20, 22 से 26, 28, 29, 30, 32 और 33 के समक्ष उल्लिखित किसी भी अधिकारी के नियंत्रण में काम करने वाले अपर आयुक्तों या संयुक्त आयुक्तों या उपायुक्तों या सहायक आयुक्तों को उक्त क्षेत्र के लिए अपर आयुक्त, सीमाशुल्क या संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क या उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के रूप मे विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क अधिकारियों के रूप मे नियुक्त करता है ;

(iv) नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) के क्रमांक 1,3,5,7,8,10,11,12,15,21, 27, 31 और 34 के समक्ष उल्लिखित किस भी अधिकारी के नियंत्रण में काम करने वाले अपर आयुक्त, (निवारक) या संयुक्त आयुक्त, (निवारक) या उपायुक्त, (निवारक) या सहायक आयुक्त, (निवारक) को उक्त क्षेत्र के लिए अपर आयुक्त, सीमाशुल्क (निवारक) या संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), या उपायुक्त, सीमा शुल्क (निवारक) या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), जैसी भी स्थिति हो, के रूप मे विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क अधिकारी के रूप मे नियुक्त करता है और उनमे उकई अधिनियम के अंतर्गत अपर आयुक्त, सीमाशुल्क या संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क, उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क की उक्त क्षेत्र से संबन्धित सभी शक्तियों को निविष्ट करता है ;

तालिका

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), अमृतसर।	(i) (जम्मू और कश्मीर का संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश; (ii) (लद्दाख का संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश; तथा (iii) पंजाब राज्य में पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का जिले।
2.	आयुक्त सीमा शुल्क, लुधियाना।	(i) संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य; (ii) संपूर्ण संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़; (iii) पूरा पंजाब राज्य (पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का जिलों को छोड़कर)
3.	आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), जोधपुर।	पूरा राजस्थान राज्य
4.	(i) सीमा शुल्क आयुक्त (हवाई अड्डा और सामान्य), दिल्ली; (ii) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, (आयात), दिल्ली; (iii) आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, (निर्यात), दिल्ली; (iv) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद (आयात) दिल्ली; (v) आयुक्त सीमा शुल्क, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद (निर्यात) दिल्ली; (vi) आयुक्त सीमा शुल्क, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो पटपड़गंज और अन्य अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, दिल्ली।	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सभी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, और हरियाणा राज्य में सभी गोदाम (ईओयू के अलावा)।

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
5.	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सभी ईओयू / एसटीपीआई / एसईजेड सहित पूरे हरियाणा राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण विशेष आर्थिक क्षेत्र।
6.	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, नोएडा।	(i) उत्तर प्रदेश राज्य में गाजियाबाद, गौतम बौद्ध नगर, बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, संभल, पीलीभीत, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर और हापुड़ जिलों में सभी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, हवाई अड्डे, ईओयू, एसईजेड और गोदाम; (ii) उत्तराखंड राज्य में आईसीडी/ईओयू
7.	आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), लखनऊ।	(i) संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य; (ii) संपूर्ण उत्तराखंड राज्य।
8.	आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), पटना।	(i) पूरे बिहार राज्य; (ii) संपूर्ण झारखंड राज्य;
9.	(i) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (पोर्ट), कोलकाता; (ii) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (हवाई अड्डा और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स), कोलकाता।	(i) (i) कोलकाता और हल्दिया के बंदरगाह, नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता, हावड़ा और दक्षिण उपनगरीय निगमों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला क्षेत्र, हुगली नदी का इतना हिस्सा, जितना कि कोलकाता बंदरगाह की उत्तरी सीमा से नीचे की ओर है, और सभी भूमि नदी के दोनों ओर वसंत ज्वार पर उच्च जल चिह्न के 10 किलोमीटर के भीतर हैं; (ii) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; (iii) फालता विशेष आर्थिक क्षेत्र।
10.	आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), पश्चिम बंगाल।	(i) पूरा पश्चिम बंगाल राज्य (ii) संपूर्ण सिक्किम राज्य (iii) केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; (iv) पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश में बेसलाइन का सामना कर रहे भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 189(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002।
11.	आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), शिलांग।	पूरे राज्य - (i) मेघालय; (ii) असम; (iii) अरुणाचल प्रदेश; (iv) नागालैंड; (v) मणिपुर; (vi) मिजोरम;

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
		(vii) त्रिपुरा।
12.	आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), भुवनेश्वर।	(i) संपूर्ण ओडिशा राज्य। (ii) भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो ओडिशा राज्य में आधार रेखा का सामना कर रहे हैं, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 189(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002।
13.	आयुक्त सीमा शुल्क, इंदौर।	पूरे राज्य - (i) मध्य प्रदेश, और (ii) छत्तीसगढ़
14.	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, अहमदाबाद।	(i) संपूर्ण गुजरात राज्य (क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर - (ए) आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), जामनगर; (बी) सीमा शुल्क आयुक्त, कांडला; (सी) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, मुंद्रा; (ii) दीव को छोड़कर दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली का पूरा केंद्र शासित प्रदेश; (iii) गुजरात राज्य में आधार रेखा का सामना कर रहे भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. द्वारा विस्तारित किया गया है। 189(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002।
15.	आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), जामनगर।	(i) गुजरात राज्य में सुरेंद्रनगर (दसदा तालुका को छोड़कर), राजकोट, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद और जूनागढ़ जिलों का पूरा क्षेत्र; (ii) केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली का दीव क्षेत्र और दमन और दीव; (iii) गुजरात राज्य में आधार रेखा का सामना कर रहे भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. द्वारा विस्तारित किया गया है। 189(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002।
16.	आयुक्त सीमा शुल्क, कांडला।	(i) कांडला बंदरगाह और हवाई अड्डे और कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (कच्छ जिले में मुंद्रा के तालुका के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर) सहित गुजरात राज्य में कच्छ का पूरा जिला। (ii) गुजरात राज्य में आधार रेखा का सामना कर रहे भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. द्वारा विस्तारित किया गया है। 189(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002।

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
17.	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, मुंद्रा।	गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मुंद्रा का पूरा तालुका जिसमें गुजरात अदानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (पोर्ट और एयरपोर्ट सहित) और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड पोर्ट (माइनर पोर्ट) का क्षेत्र शामिल है।
18.	I. I. प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (सामान्य), मुंबई, जोन-I। II. द्वितीय. आयुक्त सीमा शुल्क (आयात- I) मुंबई, जोन- I। III. III. आयुक्त सीमा शुल्क (आयात-II), मुंबई, जोन- I। IV. चतुर्थ। आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), मुंबई, जोन-I।	(i) मुंबई का बंदरगाह; (ii) अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, मुलुंड; (iii) महाराष्ट्र के निम्नलिखित जिलों के अधिकार क्षेत्र में क्षेत्र: मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय, पालघर, ठाणे और रायगढ़। (iv) भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो महाराष्ट्र राज्य में आधार रेखा का सामना कर रहे हैं, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. द्वारा विस्तारित किया गया है। 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002।
19.	I. प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-I), मुंबई, जोन- II II. प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-II), मुंबई, जोन-II III. सीमा शुल्क आयुक्त (न्हावा शेवा-III), मुंबई, जोन- II IV. सीमा शुल्क आयुक्त (न्हावा शेवा-V), मुंबई, जोन- II V. सीमा शुल्क आयुक्त (न्हावा शेवा-जनरल), मुंबई, जोन- II	(i) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उरण और पनवेल तालुक में जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस के अधिकार क्षेत्र में सभी कंटेनर फ्रेट स्टेशन और गोदाम; (ii) महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उरण तालुका में करंजा टर्मिनल; (iii) जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस के अधिकार क्षेत्र के तहत मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय, पालघर, ठाणे और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में निवारक कार्यों जैसे तलाशी/जब्ती आदि को अंजाम देने के लिए (iv) भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो महाराष्ट्र राज्य में आधार रेखा का सामना कर रहे हैं, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 189(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002।
20.	I. प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (I) - (हवाई अड्डा), मुंबई, जोन-III; II. आयुक्त सीमा शुल्क (II) - (हवाई अड्डा विशेष कार्गो), मुंबई, जोन- III; III. प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (III) - (एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स-आयात), मुंबई, जोन- III; IV. आयुक्त सीमा शुल्क (IV) - (एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स-निर्यात), मुंबई, जोन-III;	(i) छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल), ग्रेटर मुंबई नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में क्षेत्र और हवाई अड्डे, महाराष्ट्र राज्य में ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के अंतर्गत क्षेत्र; (ii) सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक विशेष आर्थिक क्षेत्र।

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
	V. सीमा शुल्क आयुक्त (V) - (एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स - जनरल), मुंबई, जोन- III।	
21.	आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), मुंबई	महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय, पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिले (उरण तालुका में करंजा टर्मिनल को छोड़कर) जिले।
22.	आयुक्त सीमा शुल्क, नागपुर।	महाराष्ट्र राज्य में नागपुर, नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव, अहमदनगर, अमरावती, यवतमाल, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, वर्धा, उस्मानाबाद, बीड, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़ चिरोली, औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, लातूर, नांदेड़ और परभणी जिले।
23.	आयुक्त सीमा शुल्क, पुणे।	(i) महाराष्ट्र राज्य में पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, रत्नागिरी, सोलापुर और सिंधुदुर्ग जिलों से मिलकर बना क्षेत्र जिसमें सभी छोटे बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो / कंटेनर फ्रेट स्टेशन शामिल हैं। (ii) भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो महाराष्ट्र राज्य में आधार रेखा का सामना कर रहे हैं, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 189(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002।
24.	सीमा शुल्क आयुक्त, गोवा।	(i) सभी छोटे बंदरगाहों, मरमागोआ बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो/कंटेनर फ्रेट स्टेशनों सहित पूरे गोवा राज्य का क्षेत्र। (ii) भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो गोवा राज्य में आधार रेखा का सामना कर रहे हैं, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 189(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002।
25.	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, हैदराबाद।	पूरे तेलंगाना राज्य
26.	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, विशाखापत्तनम।	(i) विशाखापत्तनम का बंदरगाह, गंगावरम बंदरगाह, विशाखापत्तनम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बयावरम गांव में कंटेनर फ्रेट स्टेशन, कासिमकोटा मंडल, विशाखापत्तनम जिला, विशाखापत्तनम, विशेष आर्थिक क्षेत्र और आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापत्तनम के ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम के तहत क्षेत्र; (ii) भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र आंध्र प्रदेश राज्य में आधार रेखा का सामना कर रहे हैं, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 189(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002।
27.	आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), विजयवाड़ा।	(i) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, विशाखापत्तनम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य। (ii) केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का यनम जिला।

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
		(iii) भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र आंध्र प्रदेश राज्य में आधार रेखा का सामना कर रहे हैं, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 189(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002।
28.	(i) सीमा शुल्क आयुक्त, बेंगलुरु शहर, बेंगलुरु; (ii) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, हवाई अड्डा और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, बेंगलुरु।	सीमा शुल्क आयुक्त, मैंगलोर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण कर्नाटक राज्य।
29.	आयुक्त सीमा शुल्क, मैंगलोर।	(i) उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, कोडुगु, हसन, चिकमगलूर, शिमोगा, बेलगाम, बीजापुर, उडुपी, गडग, धारवाड़, कोप्पल, बेल्लारी, रायचूर, बागलकोट, कालबुर्गी, बीदर और विजयनगर जिलों के पूरे क्षेत्र मैंगलोर बंदरगाह के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों सहित कर्नाटक राज्य; (ii) भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र कर्नाटक राज्य में आधार रेखा का सामना कर रहे हैं, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 189(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002।
30.	आयुक्त सीमा शुल्क, कोचीन	(i) ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कोचीन का बंदरगाह, कोचीन हवाई अड्डा, कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र और सीमा शुल्क संरचनाएं। (ii) भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र केरल राज्य में आधार रेखा का सामना कर रहे हैं, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 189(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002।
31.	आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), कोचीन	(i) संपूर्ण केरल राज्य (ii) लक्षद्वीप का केंद्र शासित प्रदेश; (iii) केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का माहे कम्यून; (iv) भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र केरल राज्य में आधार रेखा का सामना कर रहे हैं, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 189(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002।
32.	I. प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (I)-हवाई अड्डा, चेन्नई II. द्वितीय. सीमा शुल्क आयुक्त (द्वितीय), चेन्नई III. प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (III), चेन्नई IV. चतुर्थ। सीमा शुल्क आयुक्त (IV), चेन्नई V. प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (VII)-एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, चेन्नई VI. सीमा शुल्क आयुक्त (VIII) - (सामान्य), चेन्नई	(i) चेन्नई का बंदरगाह, एन्नोर का बंदरगाह (कामराजर बंदरगाह), माइनर पोर्ट कट्टुपल्ली, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और चेन्नई निगम के अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र और तिरुवल्लूर जिले के अंबत्तूर, गुम्मिदीपोंडी, पूनमल्ली और पोन्नेरी तालुक, तांबरम तालुक और कांचीपुरम जिले के श्रीपेरंपुदुर तालुक में इनलैंड कंटेनर डिपो; (ii) भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में आधार रेखा का सामना कर रहे हैं, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 189 (अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002। (iii) चेन्नई विशेष आर्थिक क्षेत्र।

क्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
33.	आयुक्त सीमा शुल्क, तूतीकोरिन।	(i) तूतीकोरिन का बंदरगाह और तूतीकोरिन जिले के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र; (ii) भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में आधार रेखा का सामना कर रहे हैं, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 189(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002।
34.	आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), तिरुचिरापल्ली।	(ए) पूरे तमिलनाडु राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर - (i) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (I) - हवाई अड्डा, चेन्नई; (ii) आयुक्त सीमा शुल्क (II) चेन्नई; (iii) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (III), चेन्नई; (iv) आयुक्त सीमा शुल्क (IV), चेन्नई; (v) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (VII) - एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, चेन्नई; (vi) सीमा शुल्क आयुक्त, (VIII) - (सामान्य), चेन्नई; (बी) माहे कम्यून और यनम क्षेत्र को छोड़कर पुडुचेरी का केंद्र शासित प्रदेश; (सी) भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में आधार रेखा का सामना कर रहे हैं, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 189(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 ।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 450/72/2021- सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March , 2022

No.21/2022-Customs (N.T.)

S.O. 1537(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with section 3 and sub-sections (1), (4), (5) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as said Act) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 82/2017-Customs (N.T.), dated the 24th August, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide , number G.S.R 1064(E), dated the 24th August, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby appoints -

(i) the officers mentioned against S.Nos 2,4,6,9,13,14,16 to 20,22 to 26,28,29, 30,32 and 33 in Column (2) of the Table below as the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, for the area mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table,

(ii) the officers mentioned against S.Nos. 1,3,5,7,8,10,11,12,15,21, 27, 31 and 34 in Column (2) of the Table below as the Principal Commissioner of Customs (Preventive) or Commissioner of Customs (Preventive), as the case may be, for the areas mentioned in the corresponding entry in column (3) of the Table below, and invests them with all the powers of Principal Commissioners of Customs or Commissioner of Customs under the said Act, for the said area.

(iii) Additional Commissioners or Joint Commissioners, Deputy Commissioners or Assistant Commissioners working under the control of any of the officers mentioned against S.Nos 2,4,6,9,13,14,16 to 20,22 to 26,28,29,30,32 and 33 in column (2) of the Table below as the Additional Commissioner of Customs or Joint Commissioner of Customs, or Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, for the said area,

(iv) Additional Commissioners (Preventive) or Joint Commissioners (Preventive), Deputy Commissioners (Preventive) or Assistant Commissioners (Preventive) working under the control of any of the officers mentioned against S.Nos, 1,3,5,7,8,10,11,12,15,21, 27, 31 and 34 in column (2) of the Table below as the Additional Commissioner of Customs (Preventive) or Joint Commissioner of Customs (Preventive), or Deputy Commissioner of Customs (Preventive) or Assistant Commissioner of Customs (Preventive), as the case may be, for the said area and invests them with all the powers of Additional Commissioner of Customs or Joint Commissioner of Customs, Deputy Commissioner of Customs or Joint Commissioner of Customs under the said Act, for the said area.

TABLE

S.No.	Designation of Officer	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Commissioner of Customs (Preventive), Amritsar.	(iv) The whole of the Union territory of Jammu and Kashmir; (v) The whole of Union territory of Ladakh; and (iii) The districts of Pathankot, Gurdaspur, Amritsar, Tarn Taran, Ferozepur and Fazilka in the State of Punjab.
2.	Commissioner of Customs, Ludhiana.	(i) The whole of the State of Himachal Pradesh; (ii) The whole of the Union territory of Chandigarh; (iii) The whole of the State of Punjab (except the districts of Pathankot, Gurdaspur, Amritsar, Tarn Taran, Ferozepur and Fazilka)
3.	Commissioner of Customs (Preventive), Jodhpur.	The Whole of state of Rajasthan
4.	(i) Commissioner of Customs (Airport and General), Delhi; (ii) Principal Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, (Import), Delhi; (vi) Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, (Export), Delhi; (vii) Principal Commissioner of Customs, Inland Container	The National Capital Territory of Delhi, all Inland Container Depots, and all warehouses (other than EOUs) in the State of Haryana.

S.No.	Designation of Officer	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
	Depot, Tughlakabad (Import) Delhi; (v) Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad (Export) Delhi; (vi) Commissioner of Customs, Inland Container Depot Patparganj and other Inland Container Depots, Delhi.	
5.	Principal Commissioner of Customs (Preventive), Delhi	The National Capital Territory of Delhi, the whole of the State of Haryana including all Export Oriented Units /Software Technology Parks of India/ Special Economic Zones (EoUs/STPIs/SEZs) and the New Okhla Industrial Development Authority Special Economic Zone in the State of Uttar Pradesh.
6.	Principal Commissioner of Customs, Noida.	(i) All Inland Container Depots, Airports, EOUs, SEZs, and warehouses in the districts of Ghaziabad, Gautam Buddh Nagar, Bulandshahar, Bareilly, Badaun, Sambhal, Pilibhit, Meerut, Baghpat, Muzaffarnagar, Saharanpur, Shamli, Amroha, Moradabad, Bijnore, Rampur and Hapur in the State of Uttar Pradesh; (ii) Inland Container Depots/Export Oriented Units (ICDs/ EoUs) in the state of Uttarakhand
7.	Commissioner of Customs (Preventive), Lucknow.	(iii) The whole of the State of Uttar Pradesh ; (iv) The whole of the state of Uttarakhand.
8.	Commissioner of Customs (Preventive), Patna.	(i) The whole of the State of Bihar; (ii) The whole of the State of Jharkhand;
9.	(i) Principal Commissioner of Customs (Port), Kolkata; (ii) Principal Commissioner of Customs (Airport and Air Cargo Complex), Kolkata.	(iv) Ports of Kolkata and Haldia, Netaji Subhash Chandra International Airport, the area under the jurisdiction of Kolkata, Howrah and South Suburban Corporations, so much of the Hooghly river as is downstream of the Northern limit of Kolkata Port, and all lands as are within 10 kilometers of high water mark at spring tide on either side of the river; (ii) The Andaman and Nicobar Islands; (iii) Falta Special Economic Zone.
10.	Commissioner of Customs (Preventive), West Bengal.	(i) The whole of the State of West Bengal (ii) The whole of the State of Sikkim (iii) The Union territory of Andaman and Nicobar Islands ; (iv) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the Baseline in the State of West Bengal and Union territory of Andaman and Nicobar Islands to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189(E), dated the 7th February, 2002.

S.No.	Designation of Officer	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
11.	Commissioner of Customs (Preventive), Shillong.	The whole of the States of - (i) Meghalaya; (ii)Assam; (iii)Arunachal Pradesh; (iv) Nagaland; (v) Manipur; (vi)Mizoram; (vii) Tripura.
12.	Commissioner of Customs (Preventive), Bhubaneswar.	(i) The whole of the State of Odisha. (ii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Odisha to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189(E), dated the 7th February, 2002.
13.	Commissioner of Customs, Indore.	The whole of the States of - (i) Madhya Pradesh, and (ii) Chhattisgarh
14.	Principal Commissioner of Customs, Ahmedabad.	(i) The whole of the State of Gujarat (excluding the areas falling under the jurisdiction of – (a) Commissioner of Customs (Preventive), Jamnagar; (b) Commissioner of Customs, Kandla; (c) Principal Commissioner of Customs, Mundra; (ii)The whole of Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu except the Diu; (iii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Gujarat to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189(E), dated the 7th February, 2002.
15.	Commissioner of Customs (Preventive), Jamnagar.	(i) The whole of the area in the districts of Surendranagar (except Dasada Taluka), Rajkot, Porbandar, Devbhumi Dwarka, Jamnagar, Morbi, Amreli, Bhavnagar, Gir Somnath, Botad and Junagadh in the State of Gujarat; (ii) Diu territory of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. (iii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Gujarat to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189(E), dated the 7th February, 2002.
16.	Commissioner of Customs, Kandla.	(i) The whole of the District of Kachchh in the State of Gujarat including Kandla Port and Airport and Kandla Special Economic Zone (excluding the area covered under taluka of Mundra in the District of Kachchh). (ii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the state of Gujarat to which the Customs Act, 1962 has been extended vide

S.No.	Designation of Officer	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
		Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189(E), dated the 7th February, 2002.
17.	Principal Commissioner of Customs, Mundra.	The whole of the taluka of Mundra in the District of Kachchh in the State of Gujarat including the area of Gujarat Adani Port and Special Economic Zone Limited (including Port and Airport) and Gujarat Maritime Board Port (Minor Port).
18.	I. Principal Commissioner of Customs (General), Mumbai, Zone-I. II. Commissioner of Customs (Import-I) Mumbai, Zone-I. III. Commissioner of Customs (Import-II), Mumbai, Zone-I. IV. Commissioner of Customs (Export), Mumbai, Zone-I.	(i) Port of Mumbai; (ii) Inland Container Depot, Mulund; (iii) The area under the jurisdiction of the following districts of Maharashtra : Mumbai City, Mumbai Suburban, Palghar, Thane and Raigad. (iv) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Maharashtra to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002.
19.	VI. Principal Commissioner of Customs (Nhava Sheva-I), Mumbai, Zone-II. VII. Principal Commissioner of Customs (Nhava Sheva-II), Mumbai, Zone-II. VIII. Commissioner of Customs (Nhava Sheva-III), Mumbai, Zone-II. IX. Commissioner of Customs (Nhava Sheva-V), Mumbai, Zone-II. X. Commissioner of Customs (Nhava Sheva-General), Mumbai, Zone-II.	(i) Jawaharlal Nehru Port, all Containers Freight Stations and warehouses under the jurisdiction of Jawaharlal Nehru Custom House in talukas Uran and Panvel of Raigad district of Maharashtra; (ii) The Karanja Terminal in Uran Taluka, Raigad district of Maharashtra; (iii) Mumbai City, Mumbai Suburban, Palghar, Thane and Raigad district of Maharashtra for carrying out preventive functions namely, search or seizure, etc. under the jurisdiction of Jawaharlal Nehru Custom House (iv) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Maharashtra to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189(E), dated the 7th February, 2002.
20.	VI. Principal Commissioner of Customs (I) - (Airport), Mumbai, Zone-III; VII. Commissioner of Customs (II) - (Airport Special Cargo), Mumbai, Zone-III; VIII. Principal Commissioner of Customs (III) - (Air Cargo Complex-Import), Mumbai, Zone-III; IX. Commissioner of Customs (IV) - (Air Cargo Complex-Export), Mumbai, Zone-III; X. Commissioner of Customs (V) - (Air Cargo Complex - General), Mumbai, Zone-III.	(i) Chhatrapati Shivaji International Airport (International Terminal), area and airports under the jurisdiction of the Municipal Corporation of Greater Mumbai, area under the districts of Thane, Palghar and Raigad in the State of Maharashtra; (ii) Santacruz Electronic Special Economic Zone.
21.	Principal Commissioner of Customs (Preventive), Mumbai.	Mumbai City, Mumbai Suburban, Palghar, Thane and Raigad district of Maharashtra (excluding Karanja

S.No.	Designation of Officer	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
		Terminal in Uran Taluka) Districts in the State of Maharashtra.
22.	Commissioner of Customs, Nagpur.	The districts of Nagpur, Nashik, Dhule, Nandurbar, Jalgaon, Ahmednagar, Amravati,Yavatmal, Akola, Washim, Buldhana, Wardha, Osmanabad, Beed, Bhandara, Gondia, Chandrapur, Gad Chiroli, Aurangabad, Jalna, Hingoli, Latur, Nanded and Parbhani in the State of Maharashtra.
23.	Commissioner of Customs, Pune.	(i) Area consisting of the districts of Pune, Satara, Sangli, Kolhapur, Ratnagiri, Solapur, and Sindhudurg in the State of Maharashtra including all Minor Ports, International Airports, Inland Container Depots / Container Freight Stations. (ii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Maharashtra to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189(E), dated the 7th February, 2002.
24.	Commissioner of Customs, Goa.	(i) Area consisting of entire State of Goa including all Minor Ports, Marmagoa Port, International Airports, Inland Container Depots/Container Freight Stations. (ii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Goa to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189(E), dated the 7th February, 2002.
25.	Principal Commissioner of Customs, Hyderabad.	The whole of the State of Telangana
26.	Principal Commissioner of Customs, Vishakhapatnam.	(i) Port of Vishakhapatnam, Gangavaram Port, Visakhapatnam International Airport, Container Freight Station at Bayyavaram Village, Kasimkota Mandal, Vishakhapatnam District, Vishakhapatnam, Special Economic Zone and areas under the Greater Vishakhapatnam Municipal Corporation of Vishakhapatnam in the state of Andhra Pradesh; (ii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Andhra Pradesh to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189(E), dated the 7th February, 2002.
27.	Commissioner of Customs (Preventive), Vijayawada.	(i) (i)The whole of the State of Andhra Pradesh excluding the areas falling under the jurisdiction of Principal Commissioner of Customs, Vishakhapatnam. (ii) Yanam district of Union territory of Puducherry. (iii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Andhra Pradesh to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189(E), dated the 7th February, 2002.

S.No.	Designation of Officer	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
28.	(i) Commissioner of Customs, Bengaluru City, Bengaluru; (ii) Principal Commissioner of Customs, Airport and Air Cargo Complex, Bengaluru.	The whole of the State of Karnataka excluding the areas falling under the jurisdiction of Commissioner of Customs, Mangalore.
29.	Commissioner of Customs, Mangalore.	(i) The whole of the areas in the districts of Uttara Kannada, Dakshina Kannada, Kodagu, Hassan, Chikkamagaluru, Shivamogga, Belagavi, Vijayapura, Udupi, Gadag, Dharwad, Koppal, Ballari, Raichur, Bagalkot, Kalaburagi, Bidar, Vijayanagara and Yadagiri in the State of Karnataka including areas under Mangalore Port; (ii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Karnataka to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189(E), dated the 7th February, 2002.
30.	Commissioner of Customs, Cochin	(i) Port of Cochin, Cochin Airport, Cochin Special Economic Zone and Customs formations under the area under the jurisdiction of Greater Cochin Development Authority. (ii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Kerala to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189(E), dated the 7th February, 2002.
31.	Commissioner of Customs (Preventive), Cochin	(i) The whole of the state of Kerala (ii) The union territory of Lakshadweep; (iii) The mahe commune of the union territory of Puducherry; (iv) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Kerala to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189(E), dated the 7th February, 2002.
32.	VII. Principal Commissioner of Customs (I)- Airport, Chennai. VIII. Commissioner of Customs (II), Chennai. IX. Principal Commissioner of Customs (III), Chennai. X. Commissioner of Customs (IV), Chennai. XI. Principal Commissioner of Customs (VII)- Air Cargo Complex, Chennai. XII. Commissioner of Customs (VIII) - (General), Chennai	(i) Port of Chennai, Port of Ennore (Kamarajar Port), Minor Port Kattupalli, the Anna International Airport and the area under the jurisdiction of the Chennai Corporation and Ambattur, Gummidipoondi, Poonamallee and Ponneri Taluks of Thiruvallur District, Tambaram Taluk and Inland Container Depots at Sriperumpudur Taluk of Kancheepuram District; (ii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Tamil Nadu to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189 (E), dated the 7th February, 2002. (iii) Chennai Special Economic Zone.
33.	Commissioner of Customs, Tuticorin.	(i) Port of Tuticorin and the area under the jurisdiction of the district of Tuticorin;

S.No.	Designation of Officer	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
		(ii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Tamil Nadu to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189(E), dated the 7th February, 2002.
34.	Commissioner of Customs (Preventive), Tiruchirappalli.	(a) The whole of the State of Tamil Nadu excluding the areas falling under the jurisdiction of - (i) Principal Commissioner of Customs (I) - Airport, Chennai; (ii) Commissioner of Customs (II) Chennai; (iii) Principal Commissioner of Customs (III), Chennai; (iv) Commissioner of Customs (IV), Chennai; (v) Principal Commissioner of Customs (VII) - Air Cargo Complex, Chennai; (vi) Commissioner of Customs, (VIII) -(General), Chennai; (b) The Union territory of Puducherry excluding Mahe Commune and Yanam Territory; (c) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Tamil Nadu to which the Customs Act, 1962 has been extended vide Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189(E), dated the 7th February, 2002.

2. This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/72/2021-Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 22/2022- सीमाशुल्क (गै. टै.)

का.आ. 1538(अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (एतद्श्रमन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1), धारा 5 की उप-धारा (1), धारा 5 की उप-धारा (1क), (4) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/2018- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 11 मई, 2018, और 40/2018- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 11 मई, 2018, जिन्हे क्रमश: सा.का.नि. 445 (अ), दिनांक 11 मई, 2018 और 446(अ) दिनांक 11 मई, 2018 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संशोधित और प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी अथवा करने से लोप की गयी बातों को छोड़ते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को लेखा परीक्षा के उद्येश्य से उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है और उनमे उक्त अधिनियम के अंतर्गत, सारणी के कॉलम (4) में, उल्लिखित अधिकारियों की उन सभी शक्तियों की निविष्ट करता है, जिनका विस्तार सम्पूर्ण भारत तक है और उनको उक्त अधिनियम की धारा 99क के अंतर्गत लेखा परीक्षा का कार्य सौपता है:

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारियों का पदनाम	अधिकारियों का वर्ग	निर्दिष्ट अधिकारी की शक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और न्हावा शेवा में तैनात प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (लेखा परीक्षा) या आयुक्त सीमा शुल्क (लेखापरीक्षा).	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (लेखापरीक्षा) या आयुक्त सीमा शुल्क (लेखापरीक्षा)	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क
2.	चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और न्हाशेवा में तैनात अपर आयुक्त सीमा शुल्क (लेखा परीक्षा) या संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (लेखापरीक्षा)।	अपर आयुक्त सीमा शुल्क (लेखापरीक्षा) या संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (लेखापरीक्षा)	अपर आयुक्त सीमा शुल्क या संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क
3.	चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और न्हाशेवा में तैनात सीमा शुल्क उपायुक्त (लेखापरीक्षा) या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क (लेखापरीक्षा)	सीमा शुल्क उपायुक्त (लेखापरीक्षा) या या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क (लेखापरीक्षा)	सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क

2. सारणी के क्रमांक 2 और 3 में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य धारा 5 की उप-धारा (1बी) के अनुसार सौंपे जाएंगे।

3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

[फा. सं. 450/72/2021- सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March , 2022

No. 22/2022-Customs (N.T.)

S.O. 1538(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with section 3,sub-sections (1) (1A), (4) and (5) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as said Act), and in supersession of notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 39/2018- Customs (N.T.) dated the 11th May, 2018 and 40/2018-Customs (N.T.) dated the 11th May, 2018 , and published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, numbers G.S.R 445(E) dated 11th May, 2018 and 446(E) dated 11th May, 2018 respectively, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the Table below to be the officers of Customs as specified in column (3) thereof and invests them with all the powers of officers specified in column (4) of the Table under the said Act whose jurisdiction extends to the whole of India, for the purposes of carrying audit under section 99A of the said Act:

TABLE

S.No.	Designation of Officers	Class of Officers	Powers of officer specified
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Principal Commissioner of Customs (Audit) or Commissioner of Customs (Audit) posted in Chennai, Delhi, Mumbai and Nhavasheva.	Principal Commissioner of Customs (Audit) or Commissioner of Customs (Audit)	Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs

S.No.	Designation of Officers	Class of Officers	Powers of officer specified
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Additional Commissioners of Customs (Audit) or Joint Commissioners of Customs (Audit) posted in Chennai, Delhi, Mumbai and Nhavasheva.	Additional Commissioner of Customs (Audit) or Joint Commissioner of Customs (Audit)	Additional Commissioner of Customs or Joint Commissioner of Customs
3.	Deputy Commissioners of Customs (Audit) or Assistant Commissioners of Customs (Audit) posted in Chennai, Delhi, Mumbai and Nhavasheva.	Deputy Commissioner of Customs (Audit) or Assistant Commissioner of Customs (Audit)	Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs

2. The functions to be performed by the officers mentioned at S.No 2 and 3 of Table shall be as assigned in terms of sub-section (1B) of section 5.

3. This notification shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/72/2021-Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 23/2022- सीमाशुल्क (गै. टै.)

का.आ. 1539(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1), धारा 5 की उप-धारा (1), (1k), (4) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 37/2003- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 जून, 2003, जिसे सा.का.नि. 352 (अ), दिनांक 3 जून, 2003 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी अथवा करने से लोप की गयी बातों को छोड़ते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा,-

(i) आयुक्त, सीमाशुल्क (न्याय- निर्णयन), दिल्ली और

(ii) आयुक्त, सीमाशुल्क (न्याय- निर्णयन), मुंबई,

को बोर्ड के द्वारा उनको सौपे जाने वाले वादो का न्याय- निर्णयन करने के लिए प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के रूप मे नियुक्त करता है और इनमे से प्रत्येक का अधिकार क्षेत्र पूरे भारत पर होगा और उनके पास उक्त अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सभी शक्तियाँ होंगी, जिसमे उक्त अधिनियम की धारा 28, 28ककक और अध्याय X के अंतर्गत ऐसे कार्यों को करने वाले यथोचित अधिकारी की शक्तियाँ भी आएंगी।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

[फा. सं. 450/72/2021- सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

No. 23/2022-Customs (N.T.)

S.O. 1539(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with section 3, sub-sections (1), (1A), (4) and (5) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as said Act), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 37/2003-Customs (N.T.), dated the 3rd of June, 2003, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R. 450 (E), dated the 3rd June, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby appoints,-

(i) Commissioner of Customs (Adjudication), Delhi and

(ii) Commissioner of Customs (Adjudication), Mumbai,

as Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, each having jurisdiction over the whole of India, with all the powers under the said Act, for the purpose of adjudicating cases assigned to them by the Board, including as proper officers for exercise of functions under sections 28, 28AAA and Chapter X of the said Act.

2. This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/72/2021-Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 24/2022-सीमाशुल्क (गै. टै.)

का.आ. 1540(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) और (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 85/2017- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 7 सितंबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1136 (अ), दिनांक 7 सितंबर, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी अथवा करने से लोप की गयी बातों को छोड़ते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा,-

(क) नीचे दी गयी सारणी-1 के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (3) मे तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क, प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक) या आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क (लेखा परीक्षा) या आयुक्त, सीमाशुल्क (लेखा परीक्षा), प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क (अपील) या आयुक्त, सीमाशुल्क (अपील) या जैसी भी स्थिति हो, के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के लिए प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क या मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क के रूप मे नियुक्त करता है;

(ख) नीचे दी गई सारणी-2 के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क (निवारक) या मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क (निवारक) के रूप में नियुक्त करता है जो कि सीमाशुल्क अधिकारी होंगे और उनके पास उक्त सारणी-2 के कॉलम (3) मे तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क या आयुक्त, सीमा शुल्क मुख्य या प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक) या आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों से संबन्धित प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क या मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क की सभी शक्तियाँ होंगी।

तालिका-1

क्रमांक	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, दिल्ली	(i) सीमा शुल्क आयुक्त (हवाई अड्डा और सामान्य), दिल्ली; (ii) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, (आयात), दिल्ली; (iii) आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, (निर्यात), दिल्ली; (iv) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद (आयात), दिल्ली; (v) आयुक्त सीमा शुल्क, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद (निर्यात), दिल्ली; (vi) आयुक्त सीमा शुल्क, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, पटपड़गंज और अन्य अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, दिल्ली; तथा (vii) आयुक्त सीमा शुल्क (अपील), दिल्ली। (viii) आयुक्त सीमा शुल्क (न्यायिकरण), दिल्ली (ix) आयुक्त सीमा शुल्क (लेखापरीक्षा), दिल्ली
2.	प्रधान मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, मुंबई, जोन-I	(i) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (सामान्य), मुंबई, जोन- I; (ii) आयुक्त सीमा शुल्क (आयात- I) मुंबई, जोन- I; (iii) आयुक्त सीमा शुल्क (आयात- II), मुंबई, जोन- I; (iv) आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), मुंबई, जोन-I; तथा (vii) आयुक्त सीमा शुल्क (अपील), मुंबई I (v) आयुक्त सीमा शुल्क (न्यायिकरण), मुंबई
3.	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, मुंबई, जोन- II	(i) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा- I), मुंबई, जोन- II; (ii) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-II), मुंबई, जोन-II; (iii) आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-III), मुंबई, जोन- II; (iv) आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-V), मुंबई, जोन- II; (v) आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा- जनरल), मुंबई, जोन- II; तथा (vi) आयुक्त सीमा शुल्क (अपील), मुंबई-II (vii) आयुक्त सीमा शुल्क (लेखापरीक्षा), मुंबई-II
4.	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, मुंबई, जोन-III	(i) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (I) - (हवाई अड्डा), मुंबई, जोन-III; (ii) आयुक्त सीमा शुल्क (II) - (हवाई अड्डा विशेष कार्गो), मुंबई, जोन- III; (iii) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (III) - (एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स-आयात), मुंबई, जोन- III; (iv) आयुक्त सीमा शुल्क (IV) - (एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स-निर्यात), मुंबई, जोन- III; (v) आयुक्त सीमा शुल्क (V) - (एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स-जनरल), मुंबई, जोन- III; (vi) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), मुंबई; तथा (vii) आयुक्त सीमा शुल्क (अपील), मुंबई-III

क्रमांक	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
5.	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, कोलकाता	(i) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (पोर्ट), कोलकाता; (ii) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (हवाई अड्डा और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स), कोलकाता; (iii) आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), पश्चिम बंगाल; तथा (iv) आयुक्त सीमा शुल्क (अपील), कोलकाता।
6.	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, चेन्नई	(i) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (I), हवाई अड्डा, चेन्नई; (ii) आयुक्त सीमा शुल्क (II), चेन्नई; (iii) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (III), चेन्नई; (iv) आयुक्त सीमा शुल्क (IV), चेन्नई; (v) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (VII), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, चेन्नई; (vi) सीमा शुल्क आयुक्त (VIII) (सामान्य), चेन्नई; (vii) सीमा शुल्क आयुक्त (अपील- I), चेन्नई; तथा (viii) आयुक्त सीमा शुल्क (अपील-II), चेन्नई (ix) आयुक्त सीमा शुल्क (लेखापरीक्षा), चेन्नई
7.	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, बेंगलुरु	(i) सीमा शुल्क आयुक्त, बेंगलुरु शहर, बेंगलुरु; (ii) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, हवाई अड्डा और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, बेंगलुरु; (iii) आयुक्त सीमा शुल्क, मैंगलोर; तथा (iv) आयुक्त सीमा शुल्क (अपील), बेंगलुरु।
8.	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, तिरुवनंतपुरम	(i) आयुक्त सीमा शुल्क, कोचीन; तथा (ii) आयुक्त सीमा शुल्क, (निवारक) कोचीन।
9.	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, अहमदाबाद	(i) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, अहमदाबाद; (ii) आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), जामनगर; (iii) आयुक्त सीमा शुल्क, कांडला; (iv) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, मुंद्रा; तथा (v) आयुक्त सीमा शुल्क (अपील), अहमदाबाद।
10.	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, गुवाहाटी	आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), शिलांग।
11.	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, हैदराबाद	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, हैदराबाद।
12.	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, भुवनेश्वर	आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), भुवनेश्वर।
13.	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, मेरठ	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, नोएडा।
14.	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखापत्तनम	(i) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, विशाखापत्तनम; तथा (ii) आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), विजयवाड़ा।
15.	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, पुणे	(i) आयुक्त सीमा शुल्क, पुणे; तथा (ii) आयुक्त सीमा शुल्क, गोवा।

क्रमांक	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
16.	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, नागपुर	आयुक्त सीमा शुल्क, नागपुर।
17.	मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय कर, भोपाल	आयुक्त सीमा शुल्क, इंदौर।

तालिका 2

क्रमांक	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकार का क्षेत्र
(1)	(2)	(4)
1.	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक) दिल्ली	(i) प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), दिल्ली; (i) आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), अमृतसर; (ii) आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), जोधपुर; तथा (iii) आयुक्त सीमा शुल्क, लुधियाना।
2.	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), पटना	(i) आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), पटना; तथा (ii) आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), लखनऊ।
3.	मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), तिरुचिरापल्ली	(i) आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), तिरुचिरापल्ली; तथा (ii) आयुक्त सीमा शुल्क, तूतीकोरिन।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

[फा. सं. 450/72/2021- सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March , 2022

No. 24/2022-Customs (N.T.)

S.O. 1540(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with section 3 and sub-sections (1) and (4) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 85/2017 -Customs (N.T.) dated the 7th September, 2017 and published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide GSR 1136(E) dated the 7th September, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby appoints,-

(a) the officers mentioned in column (2) of the Table-1 below to be the Principal Chief Commissioner of Customs or Chief Commissioner of Customs, for the areas falling within the jurisdiction of the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, Principal Commissioner of Customs (Preventive) or Commissioner of Customs (Preventive), Principal Commissioner of Customs (Audit) or Commissioner of Customs (Audit), Principal Commissioner of Customs (Appeals) or Commissioner of Customs (Appeals), or as the case may be, mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table ;

(b) the officers mentioned in column (2) of the Table-2 below to be the Principal Chief Commissioner of Customs (Preventive) or Chief Commissioner of Customs (Preventive), who shall be the officer of customs and have all the powers of Principal Chief Commissioner of Customs or Chief Commissioner of Customs for the areas falling within the jurisdiction of the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, or Principal Commissioner of Customs (Preventive) or Commissioner of Customs (Preventive), as the case may be, mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table-2.

TABLE-1

S. No.	Designation of Officer	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Chief Commissioner of Customs, Delhi	(i) Commissioner of Customs (Airport and General), Delhi; (ii) Principal Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, (Import), Delhi; (iii) Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, (Export), Delhi; (iv) Principal Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad (Import), Delhi; (v) Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad (Export), Delhi; (vi) Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Patparganj and other Inland Container Depots, Delhi; and (vii) Commissioner of Customs (Appeals), Delhi. (viii) Commissioner of Customs (Adjudication), Delhi (ix) Commissioner of Customs (Audit), Delhi
2.	Principal Chief Commissioner of Customs, Mumbai, Zone-I	(i) Principal Commissioner of Customs (General), Mumbai, Zone-I; (ii) Commissioner of Customs (Import-I) Mumbai, Zone-I; (iii) Commissioner of Customs (Import-II), Mumbai, Zone-I; (iv) Commissioner of Customs (Export), Mumbai, Zone-I; and (v) Commissioner of Customs (Appeals), Mumbai I (vi) Commissioner of Customs (Adjudication), Mumbai
3.	Chief Commissioner of Customs, Mumbai, Zone-II	(i) Principal Commissioner of Customs (Nhava Sheva-I), Mumbai, Zone-II; (ii) Principal Commissioner of Customs (Nhava Sheva-II), Mumbai, Zone-II; (iii) Commissioner of Customs (Nhava Sheva-III), Mumbai, Zone-II; (iv) Commissioner of Customs (Nhava Sheva-V), Mumbai, Zone-II; (v) Commissioner of Customs (Nhava Sheva- General), Mumbai, Zone-II; and (vi) Commissioner of Customs (Appeals), Mumbai-II. (vii) Commissioner of Customs (Audit), Mumbai-II
4.	Chief Commissioner of Customs, Mumbai, Zone-III	(i) Principal Commissioner of Customs (I) - (Airport), Mumbai, Zone-III; (ii) Commissioner of Customs (II) - (Airport Special Cargo), Mumbai, Zone-III; (iii) Principal Commissioner of Customs (III) - (Air Cargo Complex-Import), Mumbai, Zone-III;

S. No.	Designation of Officer	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
		(iv) Commissioner of Customs (IV) - (Air Cargo Complex-Export), Mumbai, Zone-III; (v) Commissioner of Customs (V) - (Air Cargo Complex-General), Mumbai, Zone-III; (vi) Principal Commissioner of Customs (Preventive), Mumbai; and (vii) Commissioner of Customs (Appeals), Mumbai-III.
5.	Chief Commissioner of Customs, Kolkata	(i) Principal Commissioner of Customs (Port), Kolkata; (ii) Principal Commissioner of Customs (Airport and Air Cargo Complex), Kolkata; (iii) Commissioner of Customs (Preventive), West Bengal; and (iv) Commissioner of Customs (Appeals), Kolkata.
6.	Chief Commissioner of Customs, Chennai	(i) Principal Commissioner of Customs (I), Airport, Chennai; (ii) Commissioner of Customs (II), Chennai; (iii) Principal Commissioner of Customs (III), Chennai; (iv) Commissioner of Customs (IV), Chennai; (v) Principal Commissioner of Customs (VII), Air Cargo Complex, Chennai; (vi) Commissioner of Customs (VIII) (General), Chennai; (vii) Commissioner of Customs (Appeals-I), Chennai; and (viii) Commissioner of Customs (Appeals-II), Chennai. (ix) Commissioner of Customs (Audit), Chennai
7.	Chief Commissioner of Customs, Bengaluru	(i) Commissioner of Customs, Bengaluru City, Bengaluru; (ii) Principal Commissioner of Customs, Airport and Air Cargo Complex, Bengaluru; (iii) Commissioner of Customs, Mangalore; and (iv) Commissioner of Customs (Appeals), Bengaluru.
8.	Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Thiruvananthapuram	(i) Commissioner of Customs, Cochin; and (ii) Commissioner of Customs, (Preventive) Cochin.
9.	Chief Commissioner of Customs, Ahmedabad	(i) Principal Commissioner of Customs, Ahmedabad; (ii) Commissioner of Customs (Preventive), Jamnagar; (iii) Commissioner of Customs, Kandla; (iv) Principal Commissioner of Customs, Mundra; and (v) Commissioner of Customs (Appeals), Ahmedabad.
10.	Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Guwahati	Commissioner of Customs (Preventive), Shillong.
11.	Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Hyderabad	Principal Commissioner of Customs, Hyderabad.

S. No.	Designation of Officer	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
12.	Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Bhubaneswar	Commissioner of Customs (Preventive), Bhubaneswar.
13.	Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Meerut	Principal Commissioner of Customs, Noida.
14.	Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Vishakhapatnam	(i) Principal Commissioner of Customs, Vishakhapatnam; and (ii) Commissioner of Customs (Preventive), Vijayawada.
15.	Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Pune	(i) Commissioner of Customs, Pune; and (ii) Commissioner of Customs, Goa.
16.	Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Nagpur	Commissioner of Customs, Nagpur.
17.	Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Bhopal	Commissioner of Customs, Indore.

TABLE-2

S. No.	Designation of Officer	Area of Jurisdiction
(1)	(2)	(4)
1.	Chief Commissioner of Customs (Preventive) Delhi	(i) Principal Commissioner of Customs (Preventive), Delhi; (i) Commissioner of Customs (Preventive), Amritsar; (ii) Commissioner of Customs (Preventive), Jodhpur; and (iii) Commissioner of Customs, Ludhiana.
2.	Chief Commissioner of Customs (Preventive), Patna	(i) Commissioner of Customs (Preventive), Patna; and (ii) Commissioner of Customs (Preventive), Lucknow.
3.	Chief Commissioner of Customs (Preventive), Tiruchirappalli	(i) Commissioner of Customs (Preventive), Tiruchirappalli; and (ii) Commissioner of Customs, Tuticorin.

2. This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/72/2021-Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 25/2022-सीमाशुल्क (गै. टै.)

का.आ. 1541(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 3, धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1), (4), (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 30/97- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 7 जुलाई, 1997, संख्या 17/2002- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 7 मार्च, 2002, संख्या 83/2004- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 30 जून, 2004 और संख्या 44/2011- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 6 जुलाई, 2011, जिसे क्रमश: सा.का.नि. 355 (अ), दिनांक 7 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 173 (अ), दिनांक 7 मार्च, 2002, सा.का.नि. 393 (अ), दिनांक 30 जून, 2004 और का.आ. 1541 (अ) दिनांक 6 जुलाई, 2011, के द्वारा प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी अथवा करने से लोप की गयी बातों को छोड़ते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा,-

क) प्रधान राजस्व आसूचना महानिदेशक, नई दिल्ली या राजस्व आसूचना महानिदेशक, नई दिल्ली को प्रधान राजस्व आसूचना महानिदेशक या राजस्व आसूचना महानिदेशक महानिदेशक, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में नियुक्त करता है, जो कि सीमाशुल्क अधिकारी होंगे और उनके पास प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क या मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, की सभी शक्तियाँ होंगी और उनका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण भारत तक होगा;

ख) नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त तालिका के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है और उनमे उक्त तालिका के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों की सभी शक्तियों को निविष्ट करता है तथा उनका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण भारत तक होगा।

तालिका

क्रम संख्या	अधिकारियों का पदनाम	अधिकारियों का वर्ग	निर्दिष्ट अधिकारी की शक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रधान अपर महानिदेशक या अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना महानिदेशालय मुख्यालय में पदस्थापित, प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना, नई दिल्ली या राजस्व आसूचना महानिदेशक, नई दिल्ली के नियंत्रण में कार्यरत, जैसा भी मामला हो।	राजस्व आसूचना के प्रधान अपर महानिदेशक या राजस्व आसूचना के अपर महानिदेशक	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क और आयुक्त सीमा शुल्क
2	प्रधान अपर महानिदेशक या अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना महानिदेशालय, राजस्व आसूचना महानिदेशालय, क्षेत्रीय/क्षेत्रीय इकाइयों में तैनात, प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना, नई दिल्ली या राजस्व आसूचना महानिदेशक, नई दिल्ली के नियंत्रण में कार्यरत, जैसा भी मामला हो।	राजस्व आसूचना के प्रधान अपर महानिदेशक या राजस्व आसूचना के अपर महानिदेशक	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क और आयुक्त सीमा शुल्क
3	इस तालिका के क्रमांक 1 या 2 के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी के नियंत्रण में कार्यरत मुख्यालय और क्षेत्रीय/क्षेत्रीय इकाइयों में तैनात राजस्व आसूचना निदेशालय के अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक।	राजस्व आसूचना के अपर निदेशक या राजस्व खुफिया के संयुक्त निदेशक	अपर आयुक्त सीमा शुल्क या संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क

क्रम संख्या	अधिकारियों का पदनाम	अधिकारियों का वर्ग	निर्दिष्ट अधिकारी की शक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)
4	इस तालिका के क्रमांक 1 या 2 के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी के नियंत्रण में कार्यरत मुख्यालय और क्षेत्रीय/क्षेत्रीय इकाइयों में तैनात राजस्व आसूचना निदेशालय के उप निदेशक या सहायक निदेशक।	राजस्व आसूचना के उप निदेशक या राजस्व आसूचना के सहायक निदेशक	सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

[फा. सं. 450/72/2021- सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

No. 25/2022-Customs (N.T.)

S.O. 1541(E).—In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (1) of section 4 and sub-sections (1), (4) and (5) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.30/97-Customs (N.T.) dated the 7th July 1997, No. 17/2002-Customs (N.T.), dated the 7th March, 2002, 83/2004-customs (N.T.) dated the 30th June, 2004 and 44/2011-Customs (N.T.) dated the 6th July, 2011, published in the Gazette of India Extraordinary, vide, numbers G.S.R.355(E),dated the 7th July, 1997, G.S.R. 173(E), dated the 7th March, 2002, G.S.R. 393(E) dated the 30th June, 2004 and S.O. 1541(E) dated the 6th July, 2011, respectively, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby appoints,-

a) Principal Director General of Revenue Intelligence, New Delhi or Director General of Revenue Intelligence, New Delhi to be Principal Director General of Revenue Intelligence or Director General of Revenue Intelligence, as the case may be, who shall be the officer of customs and have all the powers of Principal Chief Commissioner of Customs or Chief Commissioner of Customs, as the case may be, with jurisdiction over the whole of India ;

b) the officers mentioned in Column (2) of the Table below to be the officers of customs as specified in column (3) thereof and invest them with all the powers of officers as specified in column (4) of the said Table with jurisdiction exercisable to the whole of India, namely,-

TABLE

S.No.	Designation of Officers	Class of the Officers of Customs	Powers of officer specified
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Principal Additional Director General or Additional Director Generals, Directorate General of Revenue Intelligence posted at Headquarters, working under the control of Principal Director General of Revenue Intelligence, New Delhi or Director General of Revenue Intelligence, New Delhi, as the case may be.	Principal Additional Director General of Revenue Intelligence or Additional Director General of Revenue Intelligence	Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs

S.No.	Designation of Officers	Class of the Officers of Customs	Powers of officer specified
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Principal Additional Director General or Additional Director Generals, Directorate General of Revenue Intelligence posted at Zonal/regional units, working under the control of Principal Director General of Revenue Intelligence, New Delhi or Director General of Revenue Intelligence, New Delhi, as the case may be.	Principal Additional Director General of Revenue Intelligence or Additional Director General of Revenue Intelligence	Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs
3.	Additional Directors or Joint Directors, of Directorate of Revenue Intelligence posted at Headquarters and Zonal or regional units, working under the control of officer mentioned in column (2) of the Sl.No. 1 or 2.	Additional Director of Revenue Intelligence or Joint Director of Revenue Intelligence	Additional Commissioner of Customs or Joint Commissioner of Customs
4.	Deputy Directors or Assistant Directors of Directorate of Revenue Intelligence posted at Headquarters and Zonal/regional units, working under the control of officer mentioned in column (2) of the S.No. 1 or 2 of this Table.	Deputy Director of Revenue Intelligence or Assistant Director of Revenue Intelligence.	Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs

2. This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/72/2021-Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 26/2022-सीमाशुल्क (गै. टै.)

का.आ. 1542(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (एतद्श्चमन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 2 की उप-धारा (34) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1क), (4) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना संख्या 40/2012-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 मई, 2012, जिसे का.आ. 993 (अ), दिनांक 2 मई, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी अथवा करने से लोप की गयी बातों को छोड़ते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों और उनके रैंक से ऊपर के अधिकारियों को, उक्त सारणी के कॉलम (3) की संबन्धित प्रविष्टि के समक्ष उक्त अधिनियम की धाराओं में विनिर्दिष्ट विभिन्न कार्यों को पूरा करने के संबंध में, अधिकारी के रूप मे नियुक्त करता है, यथा:-

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारियों का पदनाम	धारा
(1)	(2)	(3)
1.	(i) प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क (ii) प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क (निवारक) या आयुक्त, सीमाशुल्क (निवारक), सीमाशुल्क स्टेशन के अंतर्गत अधिकारक्षेत्र का प्रयोग करने के मामले में।	धारा 33

क्रम संख्या	अधिकारियों का पदनाम	धारा
(1)	(2)	(3)
2.	(i) अपर आयुक्त, सीमाशुल्क या संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क (ii) अपर आयुक्त, सीमाशुल्क (निवारक) या संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क (निवारक), सीमाशुल्क स्टेशन के अंतर्गत अधिकारक्षेत्र का प्रयोग करने के मामले में।	धारा 46 की उप-धारा (3) का तीसरा परंतुक और धारा (5)
3.	(i) उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क (ii) उपायुक्त, सीमाशुल्क (निवारक) या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क (निवारक), सीमाशुल्क स्टेशन के अंतर्गत अधिकारक्षेत्र का प्रयोग करने के मामले में।	(i) धारा 17 की उप-धारा (5) (ii) धारा 18 (iii) धारा 21 (iv) धारा 22 (v) धारा 26A (vi) धारा 28 (vii) धारा 28AAA (viii) धारा 28B (ix) धारा 28BA (x) धारा 28DA (xi) धारा 30 (xii) धारा 31 की उप-धारा (2) (xiii) धारा 32 (xiv) धारा 34 का परंतुक (xv) धारा 35 (xvi) धारा 42 (xvii) धारा 45 की उप-धारा (3) (xviii) धारा 46 की उप-धारा (1) का दूसरा परंतुक और धारा 46 की उप-धारा (2) (xix) धारा 48 (xx) धारा 54 की उप-धारा (3) (xxi) धारा 59 (xxii) धारा 60 (xxiii) धारा 61 (xxiv) धारा 67 (xxv) धारा 72 (xxvi) धारा 73 (xxvii) धारा 80 (xxviii) धारा 85 (xxix) धारा 89 (xxx) धारा 97 (xxxi) धारा 99A (xxxii) धारा 110 की उप-धारा (1A)

क्रम संख्या	अधिकारियों का पदनाम	धारा
(1)	(2)	(3)
		(xxxiii) धारा 124 का दूसरा परंतुक (xxxiv) धारा 129A (xxxv) धारा 129DD (xxxvi) धारा 129E (xxxvii) धारा 130D (xxxviii) धारा 142 (xxxix) धारा 149 (धारा 47 या धारा 51 के अंतर्गत माल के क्लिरेंस के आदेश के जारी होने के पश्चात)
4.	(i) उपायुक्त, सीमाशुल्क (निवारक) या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क (निवारक), (ii) उप निदेशक, राजस्व आसूचना या सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना	(i) धारा 28 110AA के अधीन रहते हुए धारा 17 के साथ पठित धारा 28 (ii) धारा 28B; (iii) धारा 28DA;
5.	I. अप्रेजर या II. अधीक्षक, सीमाशुल्क (निवारक) या III. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधीक्षक जो कि फिलहाल के लिए किसी सीमाशुल्क पत्तन, सीमाशुल्क एयरपोर्ट, लैंड कस्टम्स स्टेशन, तटीय पत्तन, सीमाशुल्क निवारक पोस्ट, सीमाशुल्क आसूचना पोस्ट या कस्टम्स वेयरहाउस मे तैनात हो।	(i) धारा 14 (ii) धारा 17 की उप-धारा (2), (3), और (4) (iii) धारा 19 (iv) धारा 30 (v) धारा 30A (vi) धारा 40 (vii) धारा 41 (viii) धारा 41A (ix) धारा 45 की उप-धारा 2 का उप-वाक्य (ख) (x) धारा 46 की उप-धारा (1) और (4) (xi) धारा 47 (xii) धारा 50 (xiii) धारा 51 (xiv) धारा 53 (xv) धारा 54 (xvi) धारा 62 (xvii) धारा 68 (xviii) धारा 69 (xix) धारा 79 (xx) धारा 83 (xxi) धारा 86 (xxii) धारा 92

क्रम संख्या	अधिकारियों का पदनाम	धारा
(1)	(2)	(3)
		(xxiii) धारा 93 (xxiv) धारा 149 (धारा 47 या धारा 51 के अंतर्गत माल के क्लिरेंस के आदेश के जारी होने के पश्चात)
6.	राजस्व आसूचना महानिदेशालय का आसूचना अधिकारी	(i) धारा 37 (ii) धारा 100 (iii) धारा 103 (iv) धारा 106 (v) धारा 106A (vi) धारा 110 की उप-धारा (1) और (3) (vii) धारा 144 (viii) धारा 145
7.	(i) परीक्षक या (ii) निवारक अधिकारी या (iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के निरीक्षक जो कि फिलहाल के लिए किसी सीमाशुल्क पत्तन, सीमाशुल्क एयरपोर्ट, लैंड कस्टम्स स्टेशन, तटीय पत्तन, सीमाशुल्क निवारक पोस्ट, सीमाशुल्क आसूचना पोस्ट या कस्टम्स वेयरहाउस मे तैनात हो।	(i) धारा 31 की उप-धारा (1) (ii) धारा 34, इस धारा के परंतुक को छोड़कर (iii) धारा 37 (iv) धारा 38 (v) धारा 39 (vi) धारा 45 की उप-धारा (2) का उप-वाक्य (क) (vii) धारा 77 (viii) धारा 94 (ix) धारा 95 (x) धारा 100 (xi) धारा 103 (xii) धारा 106 (xiii) धारा 106A (xiv) धारा 110 की उप-धारा (1) और (3) (xv) धारा 144 (xvi) धारा 145
8.	प्रधान अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना या अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना	(i) धारा 108A (ii) धारा 108B
9.	निरीक्षक या परीक्षक जो कि सीमाशुल्क आयुक्तालय (लेखा परीक्षा)	धारा 99A

2. सारणी में संदर्भित अधिकारियों को, क्रम संख्या 1 में संदर्भित अधिकारियों को छोड़कर, को कार्य उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1ख) के अनुसार सौपा जाएगा।

3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

[फा. सं. 450/72/2021- सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

No. 26/2022-Customs (N.T.)

S.O. 1542(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1A), (4) and (5) of section 5 read with sub-section (34) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 40/2012 – Customs (N.T.), dated the 2nd May, 2012 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide, number S.O.993 (E), dated the 2nd May, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby assigns the officers mentioned in column (2) of the Table and the officers above in rank to them, as the proper officers in relation to the various functions as specified in the sections of the said Act mentioned against the corresponding entry in column (3) of the said Table :

TABLE

S.No.	Designation of Officers	Sections
(1)	(2)	(3)
1.	(i) Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs (ii) Principal Commissioner of Customs (Preventive) or Commissioner of Customs (Preventive), in case of exercising jurisdiction under Customs Station.	Section 33
2.	(i) Additional Commissioner of Customs or Joint Commissioner of Customs (ii) Additional Commissioner of Customs (Preventive) or Joint Commissioner of Customs (Preventive), in case of exercising jurisdiction relating to Customs Station.	Third proviso to sub-sections (3), and (5) of section 46
3.	(i) Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs (ii) Deputy Commissioner of Customs (Preventive) or Assistant Commissioner of Customs (Preventive), in case of exercising jurisdiction relating to Customs Station.	(i) Sub-section (5) of section 17 (ii) Section 18 (iii) Section 21 (iv) Section 22 (v) Section 26A (vi) Section 28 (vii) Section 28AAA (viii) Section 28B (ix) Section 28BA (x) Section 28DA (xi) Section 30 (xii) Sub-section (2) of section 31 (xiii) Section 32

S.No.	Designation of Officers	Sections
(1)	(2)	(3)
		(xiv) Proviso to section 34 (xv) Section 35 (xvi) Section 42 (xvii) Sub-section (3) of section 45 (xviii) Second Proviso to sub-section (1) of section 46 and sub-section (2) of section 46 (xix) Section 48 (xx) Sub-section (3) of section 54 (xxi) Section 59 (xxii) Section 60 (xxiii) Section 61 (xxiv) Section 67 (xxv) Section 72 (xxvi) Section 73 (xxvii) Section 80 (xxviii) Section 85 (xxix) Section 89 (xxx) Section 97 (xxxi) Section 99A (xxxii) Sub-section (1A) of section 110 (xxxiii) second proviso to Section 124 (xxxiv) Section 129A (xxxv) Section 129DD (xxxvi) Section 129E (xxxvii) Section 130D (xxxviii) Section 142 (xxxix) Section 149 (after grant of order for clearance of goods under section 47 or section 51)
4.	(i) Deputy Commissioner of Customs (Preventive) or Assistant Commissioner of Customs (Preventive) (ii) Deputy Director of Revenue Intelligence or Assistant Director of Revenue Intelligence	(i) Section 28 read with section 17, subject to section 110AA (ii)Section 28B (iii)Section 28DA
5.	(i) Appraisers or (ii) Superintendent Customs (Preventive) or (iii) Superintendents of Central Excise Department who are for the time being posted to a customs port, Customs Airport, Land customs station, Coastal port, customs preventive post, customs intelligence post or a customs warehouse.	(xxv) Section 14 (xxvi) Sub-sections (2), (3), and (4) of Section 17 (xxvii) Section 19 (xxviii) Section 30 (xxix) Section 30A (xxx) Section 40 (xxxi) Section 41

S.No.	Designation of Officers	Sections
(1)	(2)	(3)
		(xxxii) Section 41A (xxxiii) Clause (b) of sub-section 2 of Section 45 (xxxiv) Sub-sections (1) and (4) of Section 46 (xxxv) Section 47 (xxxvi) Section 50 (xxxvii) Section 51 (xxxviii) Section 53 (xxxix) Section 54 (xl) Section 62 (xli) Section 68 (xlii) Section 69 (xliii) Section 79 (xliv) Section 83 (xlv) Section 86 (xlvi) Section 92 (xlvii) Section 93 (xlviii) Section 149 (before grant of order for clearance of goods under Section 47 or Section 51)
6.	Intelligence Officer in the Directorate General of Revenue Intelligence	(ix) Section 37 (x) Section 100 (xi) Section 103 (xii) Sections 106 (xiii) Section 106A (xiv) Sub-sections (1) and (3) of Section 110 (xv) Section 144 (xvi) Section 145
7.	(i) Examiners or (ii) Preventive Officers or (iii) Inspectors of Central Excise Department who are for the time being posted to a customs port, Customs Airport, Land customs station, Coastal port, customs preventive post, customs intelligence post or a customs warehouse.	(xvii) Sub-section (1) of Section 31 (xviii) Section 34 excluding proviso to the Section (xix) Section 37 (xx) Section 38 (xxi) Section 39 (xxii) Clause (a) of sub-section (2) of Section 45 (xxiii) Section 77 (xxiv) Section 94 (xxv) Section 95 (xxvi) Section 100 (xxvii) Section 103 (xxviii) Section 106

S.No.	Designation of Officers	Sections
(1)	(2)	(3)
		(xxix) Section 106A (xxx) Sub-sections (1) and (3) of Section 110 (xxxi) Section 144 (xxxii) Section 145
8.	Principal Additional Director General of Revenue Intelligence or Additional Director General of Revenue Intelligence	(iii) Section 108A (iv) Section 108B
9.	Inspector or Examiner posted in Commissionerate of Customs (Audit)	Section 99A

2. The functions to be performed by the officers referred in Table except at Sl.No.1 shall be as assigned in terms of sub-section (1B) of section 5 of the said Act.

3. This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/72/2021-Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 27/2022-सीमाशुल्क (गै. टै.)

का.आ. 1543(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (एतद्श्चमन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1), (1क), (4) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2020- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 5 जून, 2020, जिसे सा.का.नि. 352 (अ), दिनांक 5 जून, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी अथवा करने से लोप की गयी बातों को छोड़ते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित सीमाशुल्क अधिकारियों को जो कि भारत में किसी भी सीमाशुल्क स्टेशन पर तैनात हो, को उक्त अधिनियम कि धारा 46 या धारा 68 के अंतर्गत इलेक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत किए गए बिल ऑफ एंट्री के संबंध में ,उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए, भारत में कहीं भी जहां उनको कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत बिल ऑफ एंट्री सौंपी जाती हो, को पूरा करने के लिए यथोचित अधिकारी के रूप मे नियुक्त करता है, यथा:-

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी का पदनाम	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की लागू धारा के अंतर्गत कार्य
(1)	(2)	(3)
1.	I. अप्रेजर या II. अधीक्षक, सीमाशुल्क (निवारक) या III. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधीक्षक जो कि फिलहाल के लिए किसी सीमाशुल्क स्टेशन मे तैनात हो।	(क) धारा (17) की उप- धारा (2), (3) और (4) के अंतर्गत (ख) धारा 149 (धारा 47 या धारा 68 के अंतर्गत माल के क्लिरेंस के आदेश को जारी किए जाने के पहले या धारा 60 के अंतर्गत माल को ले जाने की अनुमति के

		आदेश को जारी करने के पहले, जैसी भी स्थिति हो)
2.	उपायुक्त सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त सीमाशुल्क	(क) धारा (17) की उप- धारा (5) के अंतर्गत; (ख) धारा 18.

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

[फा. सं. 450/72/2021- सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

No. 27/2022-Customs (N.T.)

S.O. 1543(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with section 3 and sub-sections (1), (1A), (4) and (5) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as said Act) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 50/2020-Customs (N.T.), dated the 5th June, 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R. 352(E), dated the 5th June, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby, appoints the following officers of customs mentioned in the column (2) of the Table below, posted at any customs station in India, as proper officers for the functions as specified in column (3) of the said Table, in relation to a bill of entry presented electronically under section 46 or section 68 of the said Act, anywhere in India, where, such bill of entry is assigned to them in the customs automated system, namely :-

TABLE

Sl. No.	Designation of the officer	Functions under the applicable section of the Customs Act, 1962
(1)	(2)	(3)
1.	(i) Appraisers ; or (ii) Superintendent Customs (Preventive) ; or (iii) Superintendent of Central Excise Department for the time being posted to a customs station.	(a) under sub-sections (2), (3) and (4) of section 17 ; (b) section 149 (before grant of order for clearance of goods under section 47 or section 68 or before grant of order permitting removal under Section 60, as the case may be).
2.	Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Customs.	(a) under sub-section (5) of section 17 ; (b) section 18.

2. This notification shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/72/2021-Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 28/2022-सीमाशुल्क (गै. टै.)

का.आ. 1544(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (एतद्श्चमन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1), धारा 5 की उप-धारा (1) और (1क) और धारा 110कक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड संतुष्ट होते हुए ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित सीमा शुल्क अधिकारी को सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त, या सीमा शुल्क के अपर आयुक्त या सीमा शुल्क के संयुक्त आयुक्त, या सीमा शुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क जैसा भी मामला हो, के रूप में विनिर्दिष्ट यथोचित अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, जिसे, उक्त अधिनियम की धारा 110कक में विनिर्दिष्ट कई अधिकार क्षेत्र के मामले में, लिखित में रिपोर्ट, जांच, जांच या लेखा परीक्षा, जैसा भी मामला हो, करने के बाद, संबंधित दस्तावेजों के साथ, कॉलम(2) में वर्णित अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा, इस सारणी के, धारा 28, धारा 28ककक या उक्त अधिनियम के अध्याय X के तहत शक्तियों के प्रयोग के उद्देश्य के लिए, जैसा भी मामला हो, और उक्त कार्यों को ऐसे अधिकारियों को सौंपता है जिसके लिए अखिल भारत में और इस अधिनियम के तहत सभी शक्तियों के साथ उन्हें अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है:

सारणी

क्रम सं.	निम्नालिखत के बारे में धारा 110 क क के दिन में आने वाले बहू अधिकार क्षेत्र के मामले-		यथोचित अधिकारी
(1)	(2)		(3)
	(क)	(ख)	
1.	खंड (क) या (ख) और (घ), यदि कोई हो	(i) सकल कर पाँच लाख रु.तक शामिल	(i) सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जिन्हें स्थानांतरण के स्तर पर शुल्क की उच्चतम राशि, या धनवापसी वाले क्षेत्राधिकार में, जैसा भी मामला हो, शुल्क या वापसी के मूल्यांकन से संबंधित कार्य सौंपा गया है।
		(ii) सकल कर पचास लाख रु तक शामिल.	(ii)उपआयुक्त सीमा शुल्क या संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क जिसका कि उपर्युक्त कॉलम (3) के (i) में विनिर्दिष्ट अधिकारी धारा 5 की उप -धारा (2) के अनुसार अधीनस्थ है
		(iii) शामिल सकल कर बिना सीमा ।	(iii)प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क जिसका कि उपर्युक्त कॉलम (3) के (i) में विनिर्दिष्ट अधिकारी धारा 5 की उप -धारा (2) के अनुसार अधीनस्थ है
2.	खंड (ग) और (घ)	(iv) पाँच लाख तक प्रतिअदायगी की औसत राशि शामिल	(iv) उपआयुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जिन्हें ट्रांसफर के स्तर पर सबसे ज्यादा ड्राबैक वाले क्षेत्राधिकार में ड्राबैक की अनुमति देने का कार्य सौंपा गया है।
		(v) बिना सीमा वाले प्रतिअदायगी की औसत राशि शामिल ।	(vi) अपर आयुक्त सीमा शुल्क या संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क जिसका कि उपर्युक्त कॉलम (3) के (iv) में विनिर्दिष्ट अधिकारी धारा 5 की उप -धारा (2) के अनुसार अधीनस्थ है
3.	खंड (घ)	(vii) केवल ब्याज रकम शामिल	सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क जिन्हें स्थानांतरण के चरण में उच्चतम ब्याज राशि वाले क्षेत्राधिकार में शुल्क या वापसी या वापसी, जैसा भी मामला हो, के मूल्यांकन से संबंधित कार्य सौंपा गया है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

[फा. सं. 450/72/2021- सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

No. 28/2022-Customs (N.T.)

S.O. 1544(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with section 3, sub-sections (1) and (1A) of section 5 and section 110AA of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as said Act), the Central Board of Indirect Taxes and Customs being satisfied that it is necessary so to do, hereby appoints the Officer of Customs, mentioned in Column (3) of the Table below to be the officer of customs specified as Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, or Additional Commissioner of Customs or Joint Commissioner of Customs, or the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, to whom, in a case of multiple jurisdictions as referred in section 110AA of the said Act, the report in writing, after causing the inquiry, investigation or audit as the case may be, along with the relevant documents, shall be transferred, as described in column (2) of the Table, who shall also be the proper officer for the purpose of exercise of powers under sections 28, section 28AAA or Chapter X of the said Act, as the case may be, and assigns the said functions to such officers for which purpose invests them with jurisdiction over the whole of India with all the powers under the said Act :

TABLE

S.No.	Case of multiple jurisdictions covered by section 110AA in respect of –		Officer of Customs
(1)	(2)		(3)
	(A)	(B)	
1.	Clauses (a) or (b) and (d)	(i) Involving aggregate duty upto rupees five lakhs	(i) Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs who is assigned the function relating to assessment of duty or refund, as the case may be, in the jurisdiction having highest amount of duty, or refund, at the stage of transfer.
		(ii) Involving aggregate duty upto rupees fifty lakhs	(ii) Additional Commissioner of Customs or Joint Commissioner of Customs to whom the Officer specified at (i) above in column (3) is subordinate in accordance with sub-section (2) of section 5.
		(iii) Involving aggregate duty without limit.	(iii) Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs to whom the officer specified at (i) above in column (3) is subordinate in accordance with sub-section (2) of section 5.
2.	Clauses (c) and (d)	(iv) Involving aggregate amount of drawbacks upto rupees five lakhs	(iv) Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs who is assigned the function of allowing drawback in the jurisdiction having highest amount of drawback, at the stage of transfer.
		(v) Involving aggregate amount of drawbacks without limit.	(viii) Additional Commissioner of Customs or Joint Commissioner of Customs to whom the officer specified at (iv) above in column (3) is subordinate in accordance with sub-section (2) of section 5.

S.No.	Case of multiple jurisdictions covered by section 110AA in respect of –		Officer of Customs
(1)	(2)		(3)
	(A)	(B)	
3.	Clause (d)	(ix) Involving only interest amount	Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs who is assigned the function relating to assessment of duty or refund or drawback, as the case may be, in the jurisdiction having highest amount of interest, at the stage of transfer.

2. This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/72/2021-Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 29/2022-सीमाशुल्क (गै. टै.)

का.आ. 1545(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (एतद्पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1), धारा 5 की उप-धारा (1क), (4) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, विनिर्दिष्ट करता है कि, ऐसे व्यक्ति के मामले में जिससे कि उस स्थिति में शुल्क की वसूली की जानी है जहां कि आंकलन का कार्य पहले पूरा हो गया है या जिसको गलती से शुल्क का रिफ़ंड किया जा चुका है या जिसे गलती से ड्रावबैक की अनुमति दे दी गयी है, के मामले में पूछताछ, जांच या लेखा परीक्षा किए जाने के बाद नोटिस जारी कर दिया गया हो, के मामले में, उक्त अधिनियम के अध्याय XIIA या XIII के अनुसार किसी भी कार्यवाही के अनुसरण में या वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का 6) के प्रारम्भ की तारीख तक लंबित रहने की स्थिति में ऐसे नोटिसों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत न्याय निर्णयन के उद्येशय से निम्नलिखित स्थिति में जारी किया जाएगा:-

(क) एकाधिक अधिकार क्षेत्र के मामले में,-

(i) अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन), डीआरआई, दिल्ली या अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन), मुंबई के समक्ष लंबित नोटिसों को क्रमशः आयुक्त, सीमाशुल्क (न्यायनिर्णयन), दिल्ली या आयुक्त, सीमाशुल्क (न्यायनिर्णयन), मुंबई, के पास न्यायनिर्णयन हेतु;

(ii) ऐसे मामले के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी के आधार पर सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष लंबित है, लेकिन सीमाशुल्क के उक्त अधिकारी द्वारा उपरोक्त (i) में मामलों को शामिल नहीं किया गया है।

(iii) अन्य लंबित मामले, उक्त अधिनियम की धारा 110कक के खंड (ii) के संबंध में जारी अधिसूचना में बोर्ड द्वारा सौंपे गए अधिकारी द्वारा उपरोक्त (i) या (ii) के मामलों को शामिल नहीं किया गया है।

(ख) उपरोक्त (क) में उल्लिखित मामलो से भिन्न मामले-

(i) शुल्क वाले ऐसे मामले जहां मूल्यांकन पहले ही किया जा चुका हो या शुल्क गलती से वापस कर दिया गया हो-

(क) पाँच लाख रु. तक, सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त के द्वारा जिन्हें यह कार्य सौंपा गया है शुल्क या वापसी के आकलन से संबंधित, जैसा भी मामला हो

(ख) पचास लाख रु. तक, सीमाशुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त के द्वारा जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अनुसार उपरोक्त (i)(क) में निर्दिष्ट अधिकारी के अधीनस्थ है।

(ग) किसी भी सीमा के बिना, प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त के द्वारा जिन्हें धारा 5 की उप-धारा (2) के अनुसार उपरोक्त (i)(क) में निर्दिष्ट अधिकारी के अधीनस्थ है।

(ii) प्रतिअदायगी की सम्मिलित राशि-

(क) पाँच लाख रु. तक, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त के द्वारा जिन्हें अधिकार क्षेत्र में वापसी की अनुमति देने का कार्य सौंपा गया है।

(ख) पाँच लाख रु. से अधिक, सीमाशुल्क के अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त के द्वारा जिन्हें धारा 5 की उप-धारा (2) के अनुसार उपरोक्त (ii)(क) में निर्दिष्ट अधिकारी के अधीनस्थ है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

[फा. सं. 450/72/2021- सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

No. 29/2022-Customs (N.T.)

S.O. 1545(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with section 3, sub-sections (1A), (4) and (5) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Board of Indirect Taxes and Customs being satisfied it is necessary so to do, specifies that, where in pursuance of any proceedings in accordance with chapter XIIA or XIII of the said Act in respect of which notice stands served, after causing of inquiry, investigation or audit, on the person chargeable with the duty in a case where assessment had already been made, or to whom the refund of the duty had been erroneously made, or to whom the drawback had been erroneously allowed, and pending on the date of commencement of the Finance Act, 2022 (6 of 2022), such notices shall be assigned for the purpose of adjudication under the said Act, as follows, namely,-

(A) In a case of multiple jurisdictions, –

(i) pending before either the Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Delhi or Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, to the Commissioner of Customs (Adjudication), Delhi or by the Commissioner of Customs (Adjudication), Mumbai, respectively ;

(ii) pending before an officer of customs appointed for the purpose of adjudication of such case, except the officer specified in (i) above, by the said officer of customs ;

(iii) other pending cases, by the officer as assigned by the Board in the notification issued under section 110AA of the said Act.

(B) In a case other than the case at (A) above –

(i) involving duty where assessment already made or duty erroneously refunded –

(a) up to rupees five lakhs, by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs who has been assigned the function relating to assessment of duty or refund, as the case may be ;

(b) up to rupees fifty lakhs, by the Additional Commissioner of Customs or Joint Commissioner of Customs to whom the officer specified at (i) (a) above is subordinate, as per sub-section (2) of section 5 of the said Act ;

(c) without limit, by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs to whom the officer specified at (i) (a) above is subordinate, as per sub-section (2) of section 5 the said Act ;

(ii) involving amount of drawbacks-

(a) up to rupees five lakhs, by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs who has been assigned the function of allowing drawback in the jurisdiction ;

(b) above rupees five lakhs, by the Additional Commissioner of Customs or Joint Commissioner of Customs to whom the officer specified at (ii) (a) above is subordinate as per sub-section (2) of section 5 of the said Act.

2. This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/72/2021-Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 30/2022- सीमाशुल्क (गै. टै.)

का.आ. 1546(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 5 की उप-धारा (1), (4) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद् द्वारा, यह अधिसूचित करता है कि ऐसे माल के मामले में जिसकी प्रविष्टि उक्त अधिनियम के अंतर्गत की गयी हो और उसका आंकलन भी पहले ही किया जा चुका हो, लेकिन ऐसा मामला उक्त अधिनियम की धारा 110 कक के दायरे से बाहर इसलिए पड़ता हो कि शुल्क की वसूली कम होने के कारण, या इसकी वसूली ना होने के कारण, या इसका भुगतान कम किए गए होने के कारण, या भुगतान ना किए गए होने के कारण, शुल्क रिक्त हो, तो इसके बावजूद यह शर्त लगाई जाती है कि ऐसे मामलो में भी सीमाशुल्क अधिकारी, पूछताछ या जांच करने के पश्चात, उक्त अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही के लिए संगत दस्तावेजों को, अपनी लिखित रिपोर्ट के साथ साथ -

(i) ऐसे सीमाशुल्क स्टेशन के सीमाशुल्क अधिकारी के पास अंतरित कर सकते है जहां कि इसकी प्रविष्टि की गयी हो; या

(ii) बहु अधिकार क्षेत्र के मामले में, ऐसे सीमाशुल्क स्टेशन के सीमाशुल्क अधिकारी के पास अंतरित कर सकते है, जिनके पास अंतरण के समय लिखित रिपोर्ट के अनुसार जिनके पास माल का सर्वाधिक मूल्य हो।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

[फा. सं. 450/72/2021- सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

No. 30/2022-Customs (N.T.)

S.O. 1546(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1),(4) and (5) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as said Act), the Central Board of Indirect Taxes and Customs on being satisfied that it is necessary so to do, hereby notifies that in the case of goods for which entry was made under the Act and assessment has already been made but such a case falls outside the purview of section 110AA of the said Act by virtue of there being absence of duty having been short-levied, not levied, short-paid or not paid, then the officer of customs shall, after causing inquiry or investigation, transfer the relevant documents along with report in writing for further required action, for the purpose of section 124 of the said Act,-

(i) to the officer of customs at the customs station where the entry was made; or

(ii) in case of multiple jurisdictions, to the officer of customs at the customs station having the highest value of goods as per the report in writing at the stage of transfer.

2. This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/72/2021-Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2022.03.31 23:07:21 +05'30'